प्रतिलिपि आदेश दिनांक 18–11–15 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण कमांक निग0 3632–एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–10–2015 पारित द्वारा कलेक्टर, जबलपुर प्रकरण कमांक 347/अ–21/2014–15.

———

शंकरलाल गौड़ उम्र लगभग 37 वर्ष
आत्मज श्री लोक सिंह गौड़
निवासी ग्राम अंडिया, तहसील पाटन,
जिला जबलपुर म0प्र0 ——— आवेदक

विरूद्ध

1– श्री उमेन्द्र कुमार राय
पिता श्री भागचंद राय निवासी पंचवटी पार्क,
भेड़ाघाट तहसील व जिला जबलपुर

2– श्री विपत राय पिता श्री सोनेलाल राय
निवासी ई.डब्लू.एस. 48/35 बाजनामठ,
जेडीए कॉलोनी, त्रिपुरी वार्ड
तहसील व जिला जबलपुर

2– म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ——— अनावेदकगण

———

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3632-एक/15 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-11-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 347/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 26-10-15 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया । कलेक्टर के आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने आदेश में आवेदक द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जमीन विक्रय नहीं करने का उल्लेख करते हुए प्रकरण खारिज किया है । इस संबंध में आवेदक का कहना है कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया था प्रकरण खारिज करने का अनुरोध नहीं किया था । यह भी कहा गया कि उन्होंने स्वयं आवेदन भूमि विक्रय की स्वीकृति हेतु दिया था इसलिए वे प्रकरण को क्यों खारिज कराना चाहेंगे । उनके द्वारा प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार की अपेक्षा गुणदोष पर करने का अनुरोध किया गया है । इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय का ध्यान कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन की ओर दिलाया गया जिसमें उसके द्वारा प्रकरण की शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया है । अतः विचारोपरांत न्यायहित में यह पाता हूँ कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा गुणदोष पर यह तर्क दिया गया कि विक्रय हेतु	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदित भूमि स्थित मौजा दियाखेयड़ा प0ह0नं0 36/26 रा0नि0मं0 जबलपुर-2 तहसील व जिला जबलपुर खसरा नं0 29 रकबा 2.00 हैक्टर आवेदक द्वारा क्रय की गई हैं उक्त भूमि शासन द्वारा पट्टे पर नहीं दी गई है । तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच उपरांत अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से जिलाध्यक्ष को भेजा गया है जिसमें सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया जाकर छलकपट नहीं हो रहा है उसे गाइड लाइन के हिसाब से उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है । 4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार को जांच हेतु भेजा । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदनों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि उसे शासन से पट्टे पर नहीं मिली हैं बल्कि उसके द्वारा क्रय की गई है । विक्रय की जा रही भूमि का उसको पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में उसके साथ कोई छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने पर आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । उपरोक्त स्थिति के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-10-15 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की मौजा दियाखेयड़ा प0ह0नं0 36/26 रा0नि0मं0 जबलपुर-2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 29 रकबा 2.00 हैक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3632-एक/15 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- केता द्वारा विक्रयपत्र प्रस्तुत करने पर विक्रय धन विक्रेता (आवेदक) के नाम पंजीयन दिनांक को जमा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन किया जायेगा । 4- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । यह निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों एवं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	